सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 72 राँची, बुधवार, 6 फाल्गुन, 1947 (श०) / 25 फ़रवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

16 फ़रवरी, 2026

आदेश सं0-5/आरोप-1-4/2024 का०- 914--श्री प्रदीप कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-49/25), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-अधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद के विरूद्ध उपायुक्त, धनबाद के ज्ञापांक-60, दिनांक 02.02.2024 द्वारा बिना अनुमति के दिनांक 01.02.2024 को मुख्यालय त्याग कर नव पदस्थापन पद (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चास, बोकारो) का प्रभार ग्रहण करने से संबंधित आरोप पर उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए उसकी सूचना विभाग को प्रेषित की गई ।

2. उक्त आलोक में विभागीय पत्रांक-2396, दिनांक 28.03.2024 एवं स्मार पत्र द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध उपायुक्त, धनबाद से किया गया ।

3. इसी क्रम में, संबंधित मामले में श्री कुमार द्वारा उपायुक्त, धनबाद को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए उसकी प्रतिलिपि विभाग को दी गई। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5398, दिनांक 21.08.2024 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से मंतव्य की माँग की गई ।

4. उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-358/स्था०, दिनांक 25.06.2025 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

उपायुक्त, धनबाद द्वारा मंतव्य में उल्लेख किया गया कि श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद जो मंडल कारा, धनबाद के अधीक्षक के प्रभार में भी थे, वे स्थानान्तरण्ण के पश्चात् बिना पूर्वानुमति के नव पदस्थापन पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु प्रस्थान कर गए थे। चूँकि उनके पास अधीक्षक मंडल कारा, धनबाद का महत्वपूर्ण प्रभार था, इसलिए विशेष रूप से उन्हें इस पद का प्रभार किसी अन्य को सौंपने के पश्चात् ही प्रस्थान करना चाहिए था, परन्तु वे ऐसा नहीं किए। उनके द्वारा इस भूल के लिए क्षमा याचना की गई है ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उपायुक्त, धनबाद द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अनुशंसा की गई।

5. श्री कुमार के विरूद्ध आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, धनबाद से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई ।

6. अतः समीक्षोपरांत, श्री प्रदीप कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-49/25), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-अधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद को **भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।**

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 72 - 50